दिनांकः 02.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे मे दुकान से चोरी करने वाला शातिर चोर /अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी गए 01 चाँदी का कडा, 01 समार्ट घड़ी एंव 3000/- रु0 नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री दीपक सैनी पुत्र सुभाष चन्द सैनी निवासी ग्राम ग्राम मलकपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान के गल्ले व दान पात्र से पैसे ,एक चाँदी का कडा व एक समार्ट वाँच चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 31/25 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी /नकबजनी/ लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व चोरी /नकबजनी /शातिर आपराधियो की गिरफ्तारीहेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे त्वारित कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त **असरफ पुत्र शमशाद नि0 मौ0 कोटला शेखपुरा कदीम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को आलमपुर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से चोरी का सामान जिसमें 01 चाँदी का कडा,01 समार्ट घड़ी एंव 3000/- रु0 नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय केसमक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व ट्रक हेल्परी का कार्य करता हूँ।मुझे अक्सप पैसो की तंगी रहती है। मैंने दिनांक 28.02.2025 की रात्रि को ग्राम रायपुर में पानी की टंकी के पास से एक जनसेवा केंद्र की दुकान से 4800/- रुपये, 01 चाँदी का कड़ा व 01 स्मार्ट घड़ी चोरी कर ली थी। दिनांक 01.03.2025 को जब मैं चोरी का सामान बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने मेरे पास से 3000/- रुपये बरामद किये है बाकि 1800/- रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

असरफ पुत्र शमशाद निवासी मौ0 कोटला शेखपुरा कदीम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 चाँदी का कडा
- 01 समार्ट घड़ी
- 3000/- रु0 नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1131 सुरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 02.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मन्दिर के दानपात्र से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए 520/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.03.2025 को श्री राजकुमार वर्मा पुत्र आनन्द स्वरूप मो0 सरावज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा प्राचीन शिव मन्दिर गंगोह रोड कस्बा नानौता की लिखित तहरीर बावत किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मन्दिर के दान पात्र का ताला तोड़कर रुपये चुराने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 50/2025 धारा 305(A) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व चोरी/नकबजनी/शातिर आपराधियो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक आज 02.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम के द्वारा मंदिर के दान पात्र से रुपये चुराने वाले 01 शातिर चोर/अभियुक्त **वंश पुत्र मनीष निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को हमामपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 520/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ व अक्सर मुझे पैसो की तंगी रहती है। इसलिये मैंन देखा की मंदिर में कोई नहीं है तो मैंने दानपात्र का ताला तोडकर उसमें से 800/- रुपये चोरी कर लिये। पुलिस ने मुझसे जो आज 520/- रुपये बरामद किये हैं वो मैंने दानपात्र से ही चुराये थे। बाकि 280/- रुपये मैंने खर्च कर दिए।आज जब मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वंश पुत्र मनीष निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 520/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. हो0गा0 2004 विनोद थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण,अवैध शस्त्रो के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्तव आज दिनांक 02.03.2025 को थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान अपने पास अबैध शस्त्र रखने वाले **अभियुक्त अनुराग कश्यप पुत्र वीरपाल कश्यप निवासी निकट उपाध्याय स्कूल हिम्मत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर** को 01 चाकू के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 78/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस द्वारा जो मुझसे चाकू बरामद किया गया है उसे मैं अपने पास लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

अनुराग कश्यप पुत्र वीरपाल कश्यप निवासी निकट उपाध्याय स्कूल हिम्मत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः –

मु0अ0स0 332/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. है0का0 557 सनव्वर ताज थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.03.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त अलीजान पुत्र अकबर अली निवासी आसनवाली जनता रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 22462/22 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर में ग्राम आसनवाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अलीजान पुत्र अकबर अली निवासी आसनवाली जनता रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह शाक्य थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 973 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा "हत्या" की घटना कारित करने वाले 05 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे/ 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .12 बोर व 03 लाठी व डण्डे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2025 को वादी आसिफ पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण तैय्यब पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर आदि 08 द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार गण्डासे, खरपाली व तमंचो से लैस होकर वादी के घर में घुसकर गाली गलौच करना व वादी के भाई मोबिन, फत्तू, शौकीन व शारिक व वादी के रिस्तेदार तसव्वर पुत्र हारुन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जिला शामली के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करना तथा तसव्वर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करना जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 69/2025 धारा 191(2)/191(3)/333/109(1)/115(2)/352/351(2)/103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित हत्या की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तगण **1. फारुख पुत्र मीरहसन 2. तैय्यब पुत्र जहांगीर 3. अय्यूब पुत्र मीर हसन 4. शारिक पुत्र ताहिर 5. बिलाल पुत्र सीदा समस्त निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर को** दौलतपुर घाट के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण फारूख व तैय्यब उपरोक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त 02 तमंचे .12 बोर बरामद हुए। अभियुक्तगण अय्यूब, शारिक तथा बिलाल उपरोक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त लाठी, डण्डे ग्राम दौलतपुर के जंगलो से बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त फारूख ने बताया कि दिनांक 28.02.2025 की शाम को मैं अपनी मोटर साईकिल से अपने घर जा रहा था कि तभी हारून के घर के सामने फैसल को मेरी मोटर साईकिल की हल्की सी साईड़ लग गयी थी। जिसके कारण हम दोनो की आपस में कहासुनी हो गयी। जिसके बाद मै अपने घर चला गया था ।बाद में इसी बात को लेकर मेरा और मेरे परिवार के अन्य सदस्यो का झगड़ा आसिफ के परिवार से भी हो गया था ।आसिफ व फैसल आपस में रिश्तेदार हैं। जिसमें हमने गुस्से मे आकर अपने .12 बोर के तमंचे से फायरिंग की थी तथा मेरे परिवार के लोगो नें लाठी डण्डो से मारपीट की थी। फायरिंग में तसव्वर गोली लगने से घायल हो गया था।जिससे हम काफी डर गये थे और मौके से भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण

- 02 तमंचे .12 बोर (घटना मे प्रयुक्त)
- 02 खोखा/02 जिन्दा कारतूस .12 बोर

- 03 लाठी/डण्डे (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पताः-

1. फारुख पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर।
2. तैय्यब पुत्र जहांगीर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. अय्यूब पुत्र मीर हसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर।
4. शारिक पुत्र ताहिर निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर।
5. बिलाल पुत्र सीदा निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह सहारनपुर।

अभियुक्त फारूख काआपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 554/16 धारा 147/148/149/307/323/324/452/504/506 भा0द0वि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 13/18 धारा 138 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 02.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, साईबर हैल्प डैस्क टीम सहारनपुर द्वारा ऑनलाईन साईबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी 9724/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2025 को वादी पंकज कुमार पुत्र श्री नेत्रपाल निवासी ग्राम रादौर थाना तीतरो जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात साईबर ठगों ने वादी के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने के नाम पर एक लिंक भेजकर व भेजे हुये लिंक पर क्लिक करवाकर वादी के साथ 9724/- रूपये की ठगी कर लने के सम्बन्ध मे साईबर हेल्प लाईन न0 1930 पर शिकायत संख्या 33102250016989 दर्ज करायी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साईबर अपराध की रोकधाम व साईबर ठगी मे ऑनलाईन धोखाधडी कर ठगी की गयी धनराशि को पीडितो के खातो में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.03.2025 को थाना तीतरो साईबर हैल्प डैस्क टीम के द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये वादी से ठगी गयी धनराशि 9724 /- रूपये अमेजन कम्पनी में होल्ड करायी गयी थी जो आज दिनांक 02.03.2025 को साईबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरान्त साईबर ठगो द्वारा ठगी गयी धनराशि 9724/- रूपये पीडित के खाते मे वापस करायी गयी।

साईबर फ्राड मे धनराशि वापस कराने वाली साईबर टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा, थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. कम्पूटर ऑपरेटर ग्रेड बी (ASI) श्री मनु सैनी थाना तीतरो सहारनपुर
3. का0 2382 दीपक कुमार, थाना तीतरो जिला सहारनपुर
4. म0का0 303 रिंकी, थाना तीरो जिला सहारनपुर